



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68271

Dated: - 07/08/2025

अधिसूचना

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) हेतु वार्षिक बजट आवंटन (Annual Budget Allocation) एवं विधिक 'वित्तीय आचार संहिता व लेखा नियमावली 2025' (Financial Code of Conduct & Audit Regulations) का आधिकारिक अनुमोदन, विमोचन तथा प्रवर्तन।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 21 (वित्तीय प्रबंधन, कोष संचालन एवं लेखापरीक्षा) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी निकाय (Governing Council) एवं केंद्रीय वित्त व लेखा समिति (Central Finance Committee) के संयुक्त संकल्प संख्या FC-04/2025 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल \$6,000,000 USD (अथवा समतुल्य भारतीय मुद्रा ₹50.00 करोड़) के वार्षिक बजट आवंटन तथा वित्तीय पारदर्शिता व अनुशासन सुनिश्चित करने वाली विधिक 'वित्तीय आचार संहिता' को एतद्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद वार्षिक बजट आवंटन एवं वित्तीय आचार संहिता अधिसूचना, 2025-26' कही जाएगी।
- 1.2 यह अधिसूचना परिषद के केंद्रीय सचिवालय, समस्त 150+ सदस्य देशों के राष्ट्रीय चैप्टर्स, जोनल कार्यालयों, स्थायी समितियों एवं विशेष परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 1.3 इस बजट एवं नियमावली की प्रभावशीलता 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (वित्तीय वर्ष 2025-26) तक रहेगी।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु समेकित बजट आवंटन

शासी निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित बजट का मदवार आवंटन विवरण निम्न सारणी के अनुसार विहित किया गया है:

क्र.	बजट मद / कार्यक्षेत्र (Budget Head)	आवंटन %	आवंटित राशि (USD)	समतुल्य राशि (INR)	संवितरक प्राधिकारी
1	विश्व सर्वधर्म महासम्मेलन 2025 एवं शांति शिखर सम्मेलन	30%	\$1,800,000	₹15.00 करोड़	सम्मेलन आयोजन समिति
2	मानवीय सहायता, आपदा राहत एवं पुनर्वास	20%	\$1,200,000	₹10.00 करोड़	राहत एवं कल्याण बोर्ड
3	अंतर-धार्मिक संवाद, शोध एवं प्रकाशन	15%	\$900,000	₹7.50 करोड़	शोध व प्रकाशन प्रकोष्ठ

4	वैश्विक युवा एवं महिला नेतृत्व प्रशिक्षण	12%	\$720,000	₹6.00 करोड़	युवा विकास परिषद
5	क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चैटर्स को वित्तीय अनुदान	10%	\$600,000	₹5.00 करोड़	जोनल समन्वय बोर्ड
6	डिजिटल अधोसंरचना, आईटी एवं जनसंपर्क	08%	\$480,000	₹4.00 करोड़	संचार व आईटी संभाग
7	प्रशासनिक संचालन, वैधानिक लेखापरीक्षा व आकस्मिकता	05%	\$300,000	₹2.50 करोड़	केंद्रीय सचिवालय
कुल अनुमोदित वार्षिक बजट		100%	\$6,000,000	₹50.00 करोड़	शासी निकाय

3. प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारिता एवं व्यय सीमाएं

वित्तीय अनुशासन एवं निर्णयन में सुगमता बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर वित्तीय अनुमोदन सीमाएं (Approval Limits) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:

प्रशासनिक स्तर / प्राधिकारी	अधिकतम वित्तीय स्वीकृति सीमा (USD)	समतुल्य सीमा (INR)	स्वीकृति की आवश्यक शर्तें
प्रांतीय / राज्य समन्वयक	\$1,000 प्रति कार्यक्रम	₹80,000	संबंधित जोनल समन्वयक की पूर्व संस्तुति
राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक	\$5,000 प्रति परियोजना	₹4,00,000	वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत मद
क्षेत्रीय निदेशक / जोनल प्रमुख	\$15,000 प्रति संभाग	₹12,00,000	केंद्रीय वित्त नियंत्रक की पूर्व सहमति
महासचिव / मुख्य वित्त नियंत्रक	\$50,000 प्रति संविदा	₹40,00,000	त्रैमासिक वित्त समिति समीक्षा
अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष / वित्त समिति	\$50,000 से अधिक (असीमित)	₹40,00,000 से अधिक	शासी निकाय का विधिवत अनुमोदन

4. अनिवार्य वित्तीय आचार संहिता एवं अनुशासन नियमावली

परिषद के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं समन्वयकों पर निम्नलिखित वित्तीय सिद्धांत विधिक रूप से बाध्यकारी होंगे:

4.1 शून्य नकद नीति (Zero-Cash Policy): परिषद का कोई भी संव्यवहार ₹5,000 / \$100 USD से अधिक नकद में नहीं होगा। समस्त भुगतान अधिकृत बैंक खाते से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (NEFT/RTGS/Swift/Cheque) द्वारा ही किए जाएंगे।

4.2 द्वैध हस्ताक्षर प्रणाली (Dual-Signatory Mandate): केंद्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर के किसी भी बैंक खाते से चेक अथवा ई-ट्रांसफर केवल दो अधिकृत हस्ताक्षराकारियों (यथा वित्त नियंत्रक एवं महासचिव अथवा अध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से ही वैध होगा।

4.3 तीन-स्तरीय प्रतिस्पर्धी कोटेशन (Procurement Rules): \$2,000 (₹1.50 लाख) से अधिक के किसी भी क्रय, अनुबंध अथवा सेवा हेतु न्यूनतम तीन प्रतिस्पर्धी निविदाएं/कोटेशन प्राप्त करना एवं तुलनात्मक विवरण तैयार करना अनिवार्य होगा।

4.4 अंतरराष्ट्रीय दान एवं विदेशी विनिमय अनुपालन: समस्त अंतरराष्ट्रीय अनुदान एवं सदस्यता शुल्क संबंधित राष्ट्रीय के विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों (यथा FCRA, Anti-Money Laundering Regulations) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों (FATF Compliance) के पूर्णतः अनुरूप होने चाहिए।

4.5 हित-संघर्ष निषेध (Conflict of Interest): कोई भी पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत फर्म, निकट संबंधी अथवा व्यावसायिक संस्था को परिषद के किसी अनुबंध या खरीद में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित नहीं करेगा।

5. आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा एवं दंडात्मक प्रावधान

5.1 त्रैमासिक आंतरिक अंकेक्षण (Quarterly Internal Audit): आंतरिक लेखापरीक्षा दल प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर समस्त संभागों के व्यय बिलों एवं वाउचरों का शत-प्रतिशत सत्यापन करेगा।

5.2 वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण (Statutory External Audit): वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा तैयार वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट शासी निकाय एवं आम सभा (General Assembly) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

5.3 वित्तीय कदाचार पर दंडात्मक कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता, अनधिकृत व्यय अथवा निधि के दुरुपयोग के दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल पदमुक्त किया जाएगा तथा परिषद की हानि की वसूली हेतु सिविल एवं आपराधिक विधिक कार्रवाई संस्थित की जाएगी।

6. व्याख्या एवं संशय निवारण

इस बजट अधिसूचना अथवा वित्तीय आचार संहिता के किसी भी खंड के अर्थ, विस्तार अथवा लागू होने के संबंध में यदि कोई संशय उत्पन्न होता है, तो केंद्रीय वित्त व लेखा समिति की संस्तुति पर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं अकाट्य होगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 07/08/2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद